

समाहरणालय, मंगेर।
कार्यालय जिला विकास शाखा, मुंगेर।
आदेश

माननीय पूर्व विधायक श्री शकुनी चौधरी, के विधायक मद की राशि से अनुशंसित एवं कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 160 दिनांक 05.07.10, के द्वारा प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए प्रथम किस्त के रूप में 50% (पचास प्रतिशत) राशि कार्यान्वयन एजेन्सी को उपलब्ध कराई गई हैं। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी असरगंज के पत्रांक 1683 दिनांक 09.10.13 के द्वारा निम्न तालिका में उल्लेखित योजनाओं में द्वितीय किस्त की राशि मांग की गई हैं, जिसके आलोक में अवशेष 40% (चालीस प्रतिशत) राशि विमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। कार्यान्वयन पदाधिकारी को निदेश दिया जाता है कि योजना का कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कर उपयोगिता प्रमाण-पत्र भेजना सुनिश्चित करें। साथ ही अन्तिम भुगतान के पूर्व कार्यान्वयन एजेन्सी निश्चित रूप से योजना का निरीक्षण करेंगे और संतुष्ट होने के पश्चात् ही भुगतान करेंगे।

नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को निदेश दिया जाता है कि निम्नतालिका के स्तम्भ 6(छः) में उल्लेखित राशि का चेक स्तम्भ-3 (तीन) में अंकित पदाधिकारी को उपलब्ध करायेंगे।

क्र०	योजना का नाम	कार्यान्वयन एजेन्सी	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	पूर्व में विमुक्त की राशि	विमुक्ति की राशि (40% प्रतिशत)।
1	2	3	4	5	6
1	बैजलपुर काली स्थान के समीप रंगमंच का निर्माण।	प्र० वि० पदा० असरगंज	249300	124650	99720
कुल			249300	124650	99720

द्रष्टव्य :-

- कुल प्रशासनिक स्वीकृत की राशि :- 249300(दो लाख उन्नचास हजार तीन सौ)रूपये मात्र।
- पूर्व में विमुक्त राशि :- 124650(एक लाख चौबीस हजार छः सौ पचास)रूपये मात्र।
- विमुक्ति की राशि :- 99720(निनानवे हजार सात सौ बीस)रूपये मात्र।

हो/-
उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।

ज्ञापांक:- 428 जि०वि०, मुंगेर / दिनांक :- 21-11-13
प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/अनुमण्डल पदाधिकारी, तारापुर, /जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर एवं नाजिर, जिला विकास शाखा, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, असरगंज, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। साथ ही निदेश दिया जाता है कि पत्र प्राप्ति के साथ अपने नाजिर को चेक प्राप्त करने हेतु प्रतिनियुक्त करेंगे।

हो/-
उप विकास आयुक्त,
मुंगेर।